(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 01/2023-State Tax (Rate)

Dated: 25/5/2023

No. F.3 (52)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 556 -In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this Government's Notification, No.12/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

> "(iva) For removal of doubts, it is clarified that any authority, board or body set up by the Central Government or State Government including National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to educational institutions shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions.".

2. This notification shall come into force with effect from the 01st March, 2023.

Note: The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 15/2022 - State Tax (Rate), *vide* number F. 3(40)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/255 dated the 27th March, 2023.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.-I)

No. F.3 (42)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 996 **Dated: 25/5/2023**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या– 01/2023–राज्य कर (दर)

दिनांक: 25/5/2023

सं.फा.03(42)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/546 : दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), और धारा 148 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017–राज्य कर (दर), जिसे सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–I/380, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (IV) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(iva) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थान माना जाएगा।''

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017–राज्य कर (दर), को सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–I/380, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2022–राज्य कर (दर), जिसे सं. फा.03(40)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/255, दिनांक 27 मार्च 2023, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)

सं.फा.03(42)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/546 दिनांक: 25/5/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्र ासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई

दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रका ानार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 संयुक्त निदे ाक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के वि ोश कार्याधिकारी, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फ़ाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)